UPMO280002342026

न्यायालय अपर मु ख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी– सर्वेश कुमार मिश्र (उ 0 प्र 0 न्यायिक सेवा– 2073)

वाद संख्या 168/2026

राज्य **प्रति** **दिव्यांश ठाकुर।**

अ०सं0 182/2025

धारा– 305/317 (2) भारतीय न्याय संहिता

थाना जी.आर.पी मुरादाबाद।

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अभियुक्त दिव्यांश ठाकुर जिला कारागार से न्यायालय के समक्ष उपस्थित। अभियुक्त की ओर से जरिए विद्वान अधिवक्ता जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वह स्वेच्छापूर्वक अपने जुर्म का इकबाल कर रहा है। प्रार्थी बहुत ही गरीब व्यक्ति है तथा प्रस्तुत मुकमदे में आगे चलाने में असमर्थ है। प्रार्थी को कम से कम जुर्माने से दंडित कर उसका मुकदमा समाप्त करने कृपा करें।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त का जुर्म इकबाल बयान अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किया एवं जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर कम से कम जुर्माने से दंडित कर उपरोक्त वाद को समाप्त किए जाने की याचना की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त प्रस्तुत मामले में दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त दिव्यांश ठाकुर को अपराध संख्या-182/2025 धारा **305 /317(2)** भा**0** न्याय संहिता के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। पत्रावली दंड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लंच बाद पेश हो।

दिनांक 12.06.2026

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।
JO CODE UP2073

`

दिनांक 12.06.2026

पत्रावली लंच पश्चात दंड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई। अभियुक्त की ओर से कथन किया गया कि यह उसका प्रथम अपराध है। वह बहुत ही गरीब व्यक्ति है तथा मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। वह प्रस्तुत प्रकरण में लगभग 177 **दिन** से जिला कारागार में निरुद्ध है। उसका कोई पैरोकार नहीं है। अतः अभियुक्त को कम से कम दंड से दंडित किया जाए।

अभियोजन पक्ष की ओर से कथन किया गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा -305 /317(2) भा0 न्याय संहिता का अपराध साबित होता है। अतः अभियुक्त को अधिक से अधिक दंड से दंडित किया जाए।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जुर्म इकबाल किया गया है। अभियुक्त गरीब व्यक्ति है, मजदूरी करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अभियुक्त आगे अपना मुकदमा चलाने में असमर्थ है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में चोरी की गयी संपत्ति मोबाइल फोन पोको एम 7 प्रो, कालेज के दस्तावेज तथा एटीएम कार्ड हैं। कोर्ट मोहरिर द्वारा अंकित रिपोर्ट के अनुसार वह उपरोक्त प्रकरण में पूर्व में लगभग 177 **दिन** जेल में रह चुका है। न्यायालय की राय में अभियुक्त की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 305/317(2) भा**0** न्याय संहिता हेतु दोषसिद्ध पर निम्न दंड से दंडित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **दिव्यांश ठाकुर** को मुकदमा अपराध संख्या–182/2025 अंतर्गत धारा–**305 /317(2)** भा**0** न्याय संहिता थाना जी.आर.पी. मुरादाबाद के प्रकरण में दोषी पाते हुए अभियुक्त को धारा 305 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास तथा 2000/–रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त 07 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

वहीं अभियुक्त उपरोक्त को धारा–317(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास तथा 1000/–रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त 03 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।

अभियुक्त का सजायवी वारंट बनाकर अविलंब जिला कारागार प्रेषित किया जावे। पत्रावली को नियमानुसार दाखिल दफ्तर किया जावे।

दिनांक 12.06.2026

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।
JO CODE UP2073

`

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
दिनांक 12.06.2026

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।
JO CODE UP2073

`

आशुलिपिकः हरगोविन्द सिंह
हस्ताक्षर–